



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3811]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2019/अग्रहायण 1, 1941

No. 3811]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019/AGRAHAYANA 1, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2019

का.आ. 4238(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 416 (अ), तारीख 9 फरवरी, 2016 द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 202 के 54.000 कि.मी. से 150.000 कि.मी. का यादगिरी से वारंगल तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 (नया रारा-202) के 54.000 कि.मी. से 150.000 कि.मी (डिज़ाइन चैनेज 54.000 कि.मी. से 153.103 कि.मी.) तक यादगिरी से वारंगल सेक्शन के पेव्डशोल्डर सहित चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 50.273 कि.मी. और 5.760 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.576 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर और 4 बाईपासों की 48.254 किमी की लंबाई प्रत्येक दस करोड़ या उससे अधिक के लिए नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जनगांव जिले में कोमला गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 100.550 कि.मी. पर	49.420	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
वारंगल (शहरी) जिले में कोमत्तीपल्ली गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 137.300 कि.मी. पर	0.853	
कुल	50.273	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जनगांव जिले में कोमला गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 100.550 कि.मी. पर	0.478 कि.मी.*	4.780	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
वारंगल (शहरी) जिले में कोमत्तीपल्ली गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 137.300 कि.मी. पर	0.098 कि.मी.**	0.980	
कुल	0.576	5.760	

* ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	70.760	70.954	बड़ा पुल	0.194
2	88.679	88.743	बड़ा पुल	0.064
3	93.695	93.777	बड़ा पुल	0.082
4	94.309	94.447	आरओबी	0.138
कुल				0.478

** ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	139.560	139.658	आरओबी	0.098
कुल				0.098

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -4						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
जनगांव जिले में कोमला गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 100.550 कि.मी. पर	बंगापल्ली बाईपास	58.100 कि.मी.	60.600 कि.मी.	2.500	22.10	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	अलेयर बाईपास	66.420 कि.मी.	74.200 कि.मी.	7.586	68.76	
	जनगांव बाईपास	81.420 कि.मी.	90.400 कि.मी.	8.916	79.37	
वारंगल (शहरी) जिले में कोमत्तीपल्ली गांव के निकट रारा-163 (नया रारा-202) के 137.300 कि.मी. पर	वारंगल (शहरी) बाईपास	123.050 कि.मी.	152.400 कि.मी.	29.252	259.40	

कुल	48.254	429.63	
-----	--------	--------	--

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1905 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/19-20/जीसी/यादगिरी से वारंगल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2019

S.O. 4238(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 416(E) dated 9th February, 2016, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Yadgiri to Warangal Section from km. 54.000 to km. 150.000 on National Highway number 202 in the State of Telangana to National Highways Authority of India (herein after referred to as “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at 100% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 50.273 km. and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 5.760 km. (having total length of 0.576 km.) and at one and half times of 100% of the base rate for 4 nos. of bypasses having length of 48.254 km. each costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Yadgiri to Warangal Section from km. 54.000 to km. 150.000 (Design Chainage from km. 54.000 to km. 153.103) of National Highway number 163 (New NH-202) in the State of Telangana and authorises National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km. 100.550 Near Komalla Village in Jangaon District of NH-163 (New NH-202)	49.420	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km. 137.300 Near Komattipalli Village in Warangal (Urban) District of NH-163 (New NH-202)	0.853	
TOTAL	50.273	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At km. 100.550 Near Komalla Village in Jangaon District of NH-163 (New NH-202)	0.478 km *	4.780	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

At km. 137.300 Near Komattipalli Village in Warangal (Urban) District of NH-163 (New NH-202)	0.098 km **	0.980	
TOTAL	0.576	5.760	

* The details are as under: -

S. No.	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1	70.760	70.954	Major Bridge	0.194
2	88.679	88.743	Major Bridge	0.064
3	93.695	93.777	Major Bridge	0.082
4	94.309	94.447	ROB	0.138
Total				0.478

** The details are as under: -

S. No.	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1	139.560	139.658	ROB	0.098
Total				0.098

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Fee Plaza(s) for the length of bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):-

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km. 100.550 Near Komalla Village in Jangaon District of NH-163 (New NH-202)	Wangapally Bypass	km. 58.100	km. 60.600	2.500	22.10	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Alair Bypass	km. 66.420	km. 74.200	7.586	68.76	
	Jangaon Bypass	km. 81.420	km. 90.400	8.916	79.37	
At km. 137.300 Near Komattipalli Village in Warangal (Urban) District of NH-163 (New NH-202)	Warangal (Urban) Bypass	km. 123.050	km. 152.400	29.252	259.40	
TOTAL				48.254	429.63	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1905 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/CO/19-20/GC-Yadgiri to Warangal]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy